



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

Under Ministry of Education, Govt of India

क्षेत्रीयकार्यालय – हैदराबाद / Regional Office – Hyderabad
पिकेट, सिकंदराबाद / Picket, SECUNDERABAD- 500 009

TEL. NOS. 040-27845649 [DC] 27847249 [AO] 27840122 (AC)

E-mail: dckvsrohyd@gmail.com Website: www.rohyderabad.kvs.gov.in



पत्र सं० फ० 210331/के वि सं (है क्षे)/2025/ **909800-909819** दिनांक: : 21.03.2025

प्राचार्य / Principal

संबंधित केन्द्रीय विद्यालय, हैदराबाद संभाग / Concerned KVs of Hyderabad Region

विषय / Sub: बालवाटिका 1 एवं 3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार और ड्रा के लिए संशोधित कार्यक्रम / Extension of Last Date for Online Registration & Submission of Application Form for Balavatika 1 & 3 and Revised Schedule for Draw of Lots - reg
संदर्भ / Ref: केविसं मुख्यालय पत्र सं. F.110331/EDPOLA/1/2025-26/Academic/C.N.26856 & 601/3334-3372 दिनांक 20.03.2025.

महोदया / महोदय,

केविसं मुख्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में नए प्रवेश के संबंध में दिनांक 05.03.2025 के समसंख्यक पत्र के क्रम में सूचित किया है कि / KVS Hqrs in continuation to their letter of even number dated 05.03.2025 regarding fresh admissions in Kendriya Vidyalayas for the Academic Session 2025-26, has informed that:

1. बालवाटिका 1 एवं 3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.03.2025 को रात 10.00 बजे तक बढ़ा दी गई है / The Last date for online registration and submission of application form for Balavatika 1 & 3 is extended to 24.03.2025 up to 10.00pm.
2. बालवाटिका 1 एवं 3 के लिए ड्रा अब 28.03.2025 (26.03.2025 के बजाय) को हैदराबाद क्षेत्र के लिए सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा / The draw of Lots for Balavatika 1 & 3 is now scheduled to be held on 28.03.2025 (instead of 26.03.2025) from 9.30am to 10.30am for Hyderabad Region.
3. शेष कार्यक्रम और समय वही रहेंगे जो केविसं मुख्यालय द्वारा पहले सूचित किए गए थे। The rest of the schedule and timings will remain same as communicated by KVS Hqrs earlier.

उपरोक्त के मद्देनजर, प्राचार्यों को संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है तथा इस आशय की सूचना तत्काल के.वी. वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया जाता है / In view of above, Principals are hereby directed to adhere strictly to the revised schedule and also a notice to this effect to be uploaded in KV website immediately.

संदर्भित केविसं मुख्यालय की ^{प्र}प्रतिलिपि अक्षरशः सख्त अनुपालन हेतु संलग्न है / Copy of KVS Hqrs under reference is attached for strict compliance in letter and spirit.

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि।

सहायक आयुक्त (शैक्षिक), के वि सं (मुख्यालय), नई दिल्ली – सूचनार्थ हेतु।

भवदीय,

रेजी वि आर नाथ
सहायक आयुक्त